संचालनालय मेडिकोलीगल संस्थान गृह (पुलिस) विभाग, मेडिकोलीगल विशेषज्ञ एवं मेडिकोलीगल सलाहकार छत्तीसगढ़ शासन, जेल रोड, मेडिकल कॉलेज भवन, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 के संबंध में।

उपर्युक्त संदर्भ एवं विषयांतर्गत विभागीय जानकारी प्रस्तुत है -

1. विभागीय संरचना -

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964 में गठित मेडिकोलीगल सर्वेक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय मंत्रालय की यह अपेक्षा थी कि प्रत्येक राज्य में मेडिकोलीगल संस्थान की स्थापना इसलिए की जाए, गृह क्योंकि संपूर्ण देश में मेडिकोलीगल कार्य बहुत ही निम्न स्तर का था जिसे उन्नत किया जाना आवश्यक था। अतः इस पर वर्ष 1977 में मध्यप्रदेश शासन को देश का प्रथम मेडिकोलीगल संस्थान की स्थापना का श्रेय प्राप्त हुआ। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को मेडिकोलीगल संस्थान भोपाल का एक हिस्सा प्राप्त हुआ जिसमें कुल पांच अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य को सौंपी गयी। इसी तारतम्य में वर्ष 2005 में 30 पदों का सेटअप स्वीकृत किया गया। वर्तमान में एक अधिकारी एवं एक कर्मचारी कार्यरत हैं ।

2. विभागीय दायित्व एवं जानकारी-

I. राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त जटिल, संदिग्ध एवं विवादित ऋकतु संदणभत मेडिकोलीगल प्रकरणों में विशेषज्ञ अभिमत प्रदान करना ।

II. संदणभत किए गये शवों का शव परीक्षण कर विशेषज्ञ अभिमत प्रदान करना ।

III. संदिग्ध घटनास्थल का निरीक्षण करना एवं अप्राकृतिक तथा संदिग्ध मृत्यु के कारणों का पता लगाना, अपराध की पुनर्रचना एवं अनुसंधानात्मक विश्लेषण करना ।

IV. पुलिस विभाग के अधिकारियों, न्यायाधीशों एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को मेडिकोलीगल प्रशिक्षण देना।

V. न्यायपालिका, कार्यपालिका, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के मध्य अत्यंत निकट का सामंजस्य बनाते हुए मेडिकोलीगल प्रकरणों में उपयुक्त परामर्श देना ।

VI. विभिन्न प्रयोगशालाओं में अनुसंधानात्मक कार्य करना, जिनमें प्रमुख रूप से डायटम परीक्षण, हिस्टोपैथोल,जी, एंटोमोल,जी, एंथ्रोपोल,जी प्रयोगशालाएं शामिल हैं।

VII. यौन परीक्षण, चोटों का परीक्षण, उम्र निर्धारण करने संबंधी विशेषज्ञ अभिमत प्रदान करना।

VIII. संचालनालय मेडिकोलीगल संस्थान द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्राप्त जटिल, संदिग्ध एवं विवादित ऋकतु संदणभत मेडिकोलीगल प्रकरणों में विशेषज्ञ अभिमत प्रदान कर प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है, फलस्वरूप पीड़ित पक्ष को न्याय प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मेडिकोलीगल संस्थान के पास शव परीक्षण कक्ष नहल्ृ होने के कारण शव परीक्षण कर विशेषज्ञ अभिमत दिया जाना संभव नहल्ृ हो पा रहा है।

IX. संचालनालय मेडिकोलीगल संस्थान के एक अधिकारी द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में जाकर डायटम परीक्षण के प्रकरणों निराकरण किया गया।

X. संदिग्ध घटनास्थल का निरीक्षण कर अप्रोंतिक तथा संदिग्ध मृत्यु के कारणों का पता लगाने संबंधी कार्य किया जा रहा है।

XI. प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों अधीन फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के अभिमत मेडिको लीगल प्रकरणों में विवादित एवं विरोधाभास होने पर प्रकरण मेडिकोलीगल संस्थान को प्राप्त होते हैं एवं इन प्रकरणों पर मेडिकोलीगल संस्थान द्वारा विशेषज्ञ अभिमत दिया जा रहा है।

XII. मेडिकोलीगल संस्थान के अधिकारी संसाधनों के अभाव में कार्य कर रहे हैं। मेडिकोलीगल संस्थान को विकसित करने की आवश्यकता है।

4. योजनाएं–

संचालनालय मेडिको लीगल संस्थान को भवन आबंटन हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, भवन आबंटित होने पर विभिन्न अनुसंधानात्मक प्रयोगशालाएं, शव परीक्षण कक्ष एवं लाइब्रेरी इत्यादि बनाने की योजना है। रिक्त पदों को भरने की योजना है।

5. बजट –

वित्तीय वर्ष 2022–23 में संचालनालय को 66,73,000/– (अक्षरी छैसठ लाख तिहत्तर हजार रूपये) राशि आबंटित किया गया है।

5. सारांश–

संचालनालय मेडिकोलीगल संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़, चिकित्सकीय ज्ञान के अनुप्रयोग के माध्यम से राज्य के न्यायिक प्रशासन में सहयोग की दृष्टि से मेडिकोलीगल प्रकरणों में अनंतिम विशेषज्ञ अभिमत प्रदाय हेतु संस्थापित एकमात्र राज्य स्तरीय निकाय है जो जटिल, संदिग्ध, संदणभत एवं विवादित विशेषज्ञ अभिमत के शव–परीक्षण एवं अन्य मेडिकोलीगल प्रकरणों में राज्य शासन के मेडिकोलीगल परामर्शदाता की भूमिका अदा करता है। राज्य के विभिन्न जिलों के शासकीय चिकित्सक उक्त उद्देश्य से युक्ति युक्त प्रकरण उचित मार्ग से तत्संबंधी मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष न्यायालयिक आयुणवज्ञान के माध्यम से संस्थान की ओर अग्रेषित कर सकते हैं। इसी प्रकार न्यायहित में आवश्यक होने

पर युक्ति युक्त प्रकरण तत्संबंधी पुलिस अधीक्षक अथवा दंडाधिकारी (कार्यपालिक अथवा न्यायिक) पुनर्परीक्षण एवं विशेषज्ञ अभिमत हेतु संस्थान की ओर अग्रेषित कर सकते हैं।

(डॉ. विकास कुमार ध्रुव)
प्रभारी संचालक
संचालनालय मेडिकोलीगल संस्थान
रायपुर (छ.ग.)